

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2016/अग्रहायण 4, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 241
No. 245] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2016/AGRAHAYANA 4, 1938 [N.C.T.D. No. 241

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

सं. फा. 14(24)/एलए-2016/cons2law/149-158.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का दिल्ली अधिनियम 06)

(24 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[15 नवम्बर, 2016]

भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 में पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा भारतीय गणराज्य के 67 वें वर्ष में निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाए

1 (1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	इस अधिनियम को भारत रत्न डॉ० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।
(2)	यह 30 जुलाई, 2008 से लागू समझा जायेगा।
2. धारा 1 में संशोधन	भारत रत्न डॉ० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 1 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

	“(1) इस अधिनियम को डॉ० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।”
3. धारा 2 में संशोधन	मूल अधिनियम की धारा 2 में खंड (V) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
	“(V) “विश्वविद्यालय” का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत यथानिगमित डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, तथा”
4. धारा 3 में संशोधन	मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
	“(1) सरकार द्वारा यथानिर्धारित तारीख से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा “डॉ० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली” के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, न्यायालय के प्रथम सदस्य, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड तथा शैक्षणिक परिषद् तथा ऐसे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जो यहां बाद में ऐसे कार्यालय या ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं जब तक वे ऐसे कार्यालय या सदस्यता में बने रहेंगे।”

पवन सिंह रजावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2016

No. F. 14(24)/LA-2016/cons2law/149-158.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 15th November, 2016 and is hereby published for general information:-

“The Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2016”

(DELHI ACT 06 OF 2016)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 24th August, 2016)

[15th November, 2016]

An Act to further to amend the Bharat Ratna Dr.B.R.Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Sixty seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and Commencement.**- (1) This Act may be called The Dr. B. R. Ambedkar University (Amendment) Act, 2016

(2) It shall be deemed to have come into force on 30th July, 2008.

2. **Amendment Section 1.**-In the Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar Vishwavidyalaya Act, 2007 (hereinafter referred of to as the principal Act), in section 1 for sub-section (1) the following shall be substituted, section-1 .namely:-

“(1) This Act may be called the Dr. B. R. Ambedkar University Delhi Act, 2007.”

3. **Amendment Section 2.**-In the principal Act, in section 2 for clause (v), the following clause shall be, substituted, of namely:-

“(v) “University” means, the Dr. B. R. Ambedkar University Delhi as incorporated under this Act, and”

4. **Amendment Section 3.-** In the principal Act, in section 3, for sub-section (1), the following shall be substituted, of namely:-

“(1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of “Dr. B.R. Ambedkar University Delhi”, comprising the Chancellor and the Vice-Chancellor, the first members of the Court, the Board of Management and the Academic Council of the University and all such persons as may hereinafter be appointed at such office or as members so long as they continue to hold such office or membership”.

PAWAN SINGH RAJAWAT, Addl. Secy.